भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1258**

दिनांक 11.12.2023 को उत्तर के लिए

**वन भूमि की अधिसूचना रद्द करना**

**1258. श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रभावित परिवारों द्वारा शरावती जल विद्युत परियोजना घाटी के पास की खेती की जाने वाली वन भूमि की अधिसूचना रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ख) क्या सरकार का कर्नाटक राज्य सरकार से शरावती जल विद्युत परियोजना के प्रभावित परिवारों के संबंध में कोई रिपोर्ट मांगने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शरावती जल विद्युत परियोजना के विस्थापित परिवारों द्वारा खेती के लिए वन भूमि की अधिसूचना रद्द करने की समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) से (घ) कर्नाटक सरकार ने दिनांक 20.03.2023 के पत्र के माध्यम से शरावती जल विद्युत परियोजना घाटी के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के उद्देश्य से वर्ष 1958 से 1969 की अवधि के दौरान निर्मुक्त 9129.00 एकड़ वन भूमि के आरक्षित क्षेत्र को रद्द करने हेतु केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13.11.2000 की रिट याचिका संख्या 337/1995 की आई.ए. संख्या 2 में निर्देश दिया है कि ''अगले आदेशों तक, वनों/अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों का कोई आरक्षण प्रभावी नहीं किया जाए''।

तदनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2023 के पत्र के माध्यम से कर्नाटक सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.11.2000 के आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

कर्नाटक सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के आरक्षण को रद्द करने हेतु केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

*****